मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 25/43/06/10–3 भोपाल,दिनांकः 25 सितम्बर, 2009

ति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0

विषयः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि से बेदखली की कार्यवाही बाबत।

संदर्भः वन विभाग का ज्ञाप कमांक एफ 25/83/10–3/2004 दिनांक 21 जनवरी 2008

कृपया संदर्भित ज्ञाप का अवलोकन करे जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि उक्त अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति दिनांक 13–12–05 को वनभूमि काबिज तथा आदेश दिनांक को भी काबिज है, उन्हें उक्त अधिनियम की परिभाषा पूर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत निवासी के कब्जे की भूमि से बेदखली की कार्यवाही तब तक न की जावे जब तक की ऐसे व्यक्ति के संबंध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के मान्यता व प्रकिया की कार्यवाही पूर्ण न हो जाये। यह भी निर्देश दिये गये है कि जिस किसी व्यक्ति को दिनांक 31–12–07 के पूर्व बेदखल किया गया है, उन्हें पुनः अतिकमण न करने दिया जाये तथा नये अतिकमण के समस्त प्रयासों को निष्प्रभावी किया जावे।

2. राज्य शासन के संज्ञान में कुछ प्रकरण आये है जिसमें यह आरोपित है कि दिनांक 13–12–05 के पूर्व के अतिकमणकारियों को भी वन विभाग द्वारा बेदखल किया जा रहा है जबकि उनके अधिकारों के सत्यापन के प्रकिया पूर्ण नहीं हुई है।

3 अतः राज्य शासन एक बार पुनः यह निर्देश देता है कि जब तक अधिकारों के सत्यापन तथा मान्यता की प्रकिया पूर्ण न हो जावे, तब तक दिनांक 13–12–05 के पूर्व के काबिज अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी के कब्जे के भमि प्रर बेदखली की कार्यवाही न की जावे। जिन व्यक्तियों को दिनांक 31–12–07

से बेदखल किया गया है, उन्हें पुनः कब्जा न करने दिया जाये तथा नये अतिक्रमण के समस्त प्रयास विफल किया जावे।

(रतन पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

पृ0कमांक एफ 25/83/10–3/2004 भोपाल,दिनांकः 25 सितम्बर,09

प्रतिलिपि–

1 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी
3 प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल
4 समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय/क्षत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
5 समस्त कलेक्टर म0प्र0
6 समस्त वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/वन्यप्राणी

की ओर सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग